

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 96/2015

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती गजरी देवी पुत्री श्री पेमाराम व पत्नी श्री हिराराम जी जाति पटेल निवासी ग्राम कटारडा तहसील झंवर जिला जोधपुर		01.हेमाराम पुत्र पेमाराम वर्गैरा एव दावे में क्रम संख्या 2 से 8 तक समस्त 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादीनी की और से अधिवक्ता नवीन शर्मा उपस्थित
02.प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक:-

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2024 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम करेला के खसरा नम्बर 546 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 496 रकबा 20 बीघा कुल रकबा 43 बीघा 6 बिस्वा भूमि में नाम सयुक्त खातेदारी में दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 मय मौका फर्द दिनांक 11.09.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

01. खसरा नम्बर 546 रकबा 3.7717 है।

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान	किस्म
A	01.हेमाराम पुत्र पेमाराम जाति पटेल सा देह खातेदार	546	0.9430	1.46	बारानी द्वितीय
A	02.गोपाराम पुत्र पेमाराम जाति पटेल सा देह खातेदार	546	0.9429	1.45	बारानी द्वितीय
A	03.मीमा देवी उर्फ मीना देवी पुत्री हिराराम जाति सा,देह रहन विजया बैंक शाखा डोली	546	0.9429	1.45	बारानी द्वितीय
A	04.गजरी देवी पुत्री पेमाराम जाति पटेल सा देह खातेदार	546	0.9429	1.45	बारानी द्वितीय

- 02.खसरा नम्बर 496 रकबा 3.2375 है।

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान	किस्म
A	01.हेमाराम पुत्र पेमाराम जाति पटेल सा देह खातेदार	496	0.8094	1.7	बारानी प्रथम
A	02.धापु देवी मांगी देवी रूकमा देवी पुत्रीया हीराराम सारी देवी पत्नी हीराराम जाति पटेल सा देह खातेदार	496	0.8094	1.7	बारानी प्रथम
A	03 गजरी देवी पुत्री पेमाराम जाति पटेल सा देह खातेदार	496	0.8094	1.7	बारानी प्रथम
A	04.आरोपा पत्नी अब्दुल रजाक जाति मुसलमान सा गंगाणा 1/2 मुनीर खान पुत्र फिरोज खान जाति मुसलमान सा सिवाची गेट के अन्दर सिधियो का बास गोरियो की गली जोधपुर	496	0.8093	1.7	बारानी प्रथम

महानक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 11.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 11.09.2024 डिक्री का अभिन्न अग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



(मुखसज कांसोटिया) RAS अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 96/2015

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती गजरी देवी पुत्री श्री पेमाराम व पत्नी श्री हिराराम जी जाति पटेल निवासी ग्राम कटारडा तहसील झंवर जिला जोधपुर		01.हेमाराम पुत्र पेमाराम वगैरा एव दावे मे कम संख्या 2 से 8 तक समस्त 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

दावा अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 96/2015 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 11.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयावी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजाच्च न			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी